न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 108 / 2012

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 महाराजसिंह पुत्र केशरीसिंह जाति राजपूत निवासी जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन		1 पारसमल पुत्र जीवराज जाति जैन निवासी जोजावर हाल रूपसंगम 17 नटराज मार्केट स्टेशन रोड, मलाड रोड (पश्चिम) मुमबई, महाराष्ट्र 2 सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सम्पतमल जैन, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/07/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47 / 1990, संकल्प संख्या 4 / 13 दिनांक 21.11.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.11.1991 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का रहवासी मकान ग्राम जोजावर की आबादी में आया हुआ स्थित है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.11.1991 को जारी हो रखा है, जिसके पट्टा संख्या 15 मिसल संख्या 39 है। उक्त मकान के उत्तर में जसधारीसिंह का मकान व जैनो का बास, दक्षिण में सोलंकी राजपूतों का बास, पूर्व मे आम रास्ता एवं दरवाजा ठिकाना तथा पश्चिम में सत्यनारायणसिंह का मकान है। उक्त पडौसियों के बीच प्रार्थी का पुराना रहवासीय मकान स्थित है, जिसमें प्रार्थी निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के मकान के उत्तर की तरफ स्थित सार्वजनिक चौक की भूमि जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग में वर्षो से ली जा रही है, उक्त भूमि को हडपने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता स्व0 जीवराज जैन के नाम से फर्जी पट्टा बना दिया। उक्त दस्तावेजात की प्रतियां प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.03.2012 को यह लिखकर प्रदान किया के ग्राम पंचायत में उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नही किया, तो किसी भी नियमों की पालना हो ही नही सकती थी। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करना अंकित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियमों के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था एवं पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड उपलब्ध नही होना बताने से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम जारी पट्टे की विधिकता पर कोई प्रभाव नही पडता है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1990 में जारी किया गया है, जो 20 वर्ष से अधिक पुराना है, जो म्याद बाहर है। इसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रार्थी द्वारा कानूनन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है, जिसके कारण भी निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नही होने के कारण निगरानी की प्रक्रिया को गैर कानूनी नही माना जा सकता है। इस हेतु साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा (Presumption) है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0एल0डब्ल्यु0 2013 पेज 645 का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 में परिसीमा विहित नही है, यहां तक कि शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47/1990, संकल्प संख्या 4/13 दिनांक 21.11.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.11.1991 के विरूद्ध पेश की गई है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नही की है। इस कारण हस्तगत प्रकरण का म्याद का बिन्दु पर विवेचन किया जाना न्यायोचित नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र क्रमांक/06 दिनांक 20.04.2017 के जरिये अवगत कराया कि जैर निगरानी मिसल, पट्टा एवं बैठक कार्यवाही सहित सम्पूर्ण रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 25.03.2012 के अनुसार "ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उक्त पट्टा की मिसल के दस्तावेज उपलब्ध नही है एव न ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है" अंकित किया है। इन तथ्यों के विपरित विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत में दस्तावेजात उपलब्ध न होने के कारण पट्टे की विधिकता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। इन तथ्यों के समर्थन में उन्होने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का सहारा लिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के अनुसार "न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, जिसका घटित होना उस विशिष्ठ मामले के तथ्यों के बारे में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक एवं प्राईवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए सम्भाव्य समझता है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जैर निगरानी पट्टा पंचायत द्वारा जारी ही नही किया गया है, तो इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर निगरानी कार्यवाही एवं उस कार्यवाही की पालना में जारी पट्टे को विधिक रूप से न्यायोचित होना उपधारित नही किया जा सकता है। इस कारण हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को न्यायोचित नही माना जा सकता है एवं न ही ऐसा उपधारित (Presumption) किया जा सकता है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जोजावर द्वारा मिसल संख्या 47/1990, संकल्प संख्या 4/13 दिनांक 21.11.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.11.1991 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत जोजावर का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/7/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली